

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(50)नवि/03/2012

जयपुर, दिनांक: 24-08-2012.

परिपत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उपधारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत दिनांक 17-06-1999 के बाद के प्रकरणों के लिए तथा नियम 16 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत दिनांक 17-06-1999 के पूर्व के प्रकरणों के लिए राज्य सरकार द्वारा दो अलग-अलग अधिसूचनाएं दिनांक 31.07.2012 को जारी की गई हैं। इस संबंध में कुछ अधिकारियों द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहे जाने पर निम्नप्रकार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

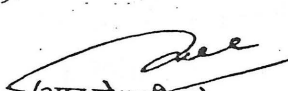
- (i) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 90-बी के प्रावधान के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनार्थ नियमन अथवा आवंटन के लिए नियमन दर अथवा रूपान्तरण शुल्क के रूप में राशि वसूल की जाती थी अब उसके स्थान पर दिनांक 31.7.2012 को जारी उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा निर्धारित प्रीमियम दरें वसूल की जायेगी।
- (ii) दिनांक 17-06-1999 के बाद के प्रकरणों के लिये नियम-9 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में मद सं. 3, 4, 6, 7, 8 एवं 9 पर क्रमशः धार्मिक/आध्यात्मिक संस्थानों, अन्य संस्थानों, औद्योगिक ईकाईयों, पर्यटन ईकाईयों, जनसुविधाओं, तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिये दरें निर्धारित हैं, जिनमें "न्यूनतम आवासीय दर" का संदर्भ है। इन मामलों में "न्यूनतम आवासीय दर" का आशय उस नगरीय क्षेत्र में 80 फीट से कम चौड़ी सड़क पर 200 वर्गगज तक के आवासीय भूखण्ड के लिये निर्धारित प्रीमियम दर से है अर्थात् वर्तमान में (दिनांक 31.03.2014 तक) तालिका-1 में वर्णित नगरीय क्षेत्रों के लिये 100 रु० प्रति वर्गगज और तालिका-2 में वर्णित नगरीय क्षेत्रों के लिये 60 रु० प्रति वर्गगज न्यूनतम आवासीय दर है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजि सचिव, प्रमुखशासनसचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. आगुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. शासन उपसचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नदिवि।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित कर अनुरोध है कि परिपत्र की प्रति समस्तनगरनिगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं को भिजवायें।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।


(आर.के.पारीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय